न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–195/16 (2016/00225)

1 नानूराम उर्फ श्रीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश दत्तक पुत्र स्व. कल्याण जाति अहीर, निवासी चनाणियों की ढाणी श्योसिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 27.06.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश दिनांक 26.04.2016 (प्रकरण संख्या 257/15) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट को अति बाल्यावस्था से ही नानूराम व श्रीनारायण दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता था, इसी नाम से पुकारा जाता था और इसी वजह से कही नानूराम दर्ज कर दिया गया और कही श्रीनारायण दर्ज कर दिया लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति अपीलान्ट के नाम है, अपीलान्ट नानूराम/श्रीनारायण, गणेश पुत्र जोधा का लड़का है, गणेश का सगा भाई कल्याण लाऔलाद फौत हुआ है यानि अपीलान्ट का पिता गणेश और कल्याण जोधा के लड़के थे कल्याण आलौलाद फौत हुआ है, कल्याण के कोई औलाद नही होने के कारण अपीलान्ट नानूराम उर्फ श्रीनारायण कल्याण के गोद आ गया और कल्याण का दत्तक पुत्र हो गया, प्राथी अपीलान्ट के जायन्दा पिता के स्वर्गवास पर उसके खाते व कब्जे की भूमि जो ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील फुलेरा में खसरा नम्बर 168, 170 लगायत 177, 187, 188 से लगायत 190 का नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त नानूराम/श्रीनारायण न करते हुए केवल नानूराम दर्ज दिया इस प्रकार प्रार्थी अपीलान्ट के दत्तक ग्रहण पिता कल्याण की आराजी जो ग्राम नारायना तहसील सांभर में है उसमें कल्याण के मरने पर नामान्तरकरण दर्ज नानूराम/श्रीनारायण के बजाय श्रीनारायण पुत्र कल्याण के नाम दर्ज कर दी जबकि आराजी नानूराम उर्फ श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्तक पुत्र कल्याण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी गोया प्रार्थी अपीलान्ट नानूराम/श्रीनारायण जो गणेश का जायन्दा पुत्र है एवं कल्याण का दत्तक पुत्र है एक ही व्यक्ति है, ना समझी से कही जगह नानूराम और कही जगह श्रीनाराण अंकित कर दिया गया है, प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपनी निजि आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त आराजी पर नारायना बैंक शाखा से लोन लेने की कार्यवाही की और लोन लेने में बैंक अधिकारियो के नाम प्रार्थी अपीलान्ट का नाम नानूराम/श्रीनारायण अलग–अलग होना जाहिर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

करते हुये आपत्ति की जिस पर बैंक शाखा में प्रार्थी अपीलान्ट ने शपथ प्रस्तुत किया कि श्रीनारायण व नानूराम एक ही व्यक्ति के नाम है लेकिन उन्होने शपथ व अन्य दस्तावेजात को तवज्जो न देते हुए नाम दुरूस्त कराने की सलाह दी जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण वाकियात के साथ दिनांक 23.12.2015 को शपथ पत्र व दस्तावेजात के साथ प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्य लिखे गये और मांग की गई कि ग्राम नारायना तहसील सांभर में स्थित खसरा नम्बर 259 से 274, 280, 286 लगायत 293 कुल किता 25 कुल रकबा 101 बीघा 7 बिस्वा में वर्तमान जमाबन्दी में अंकिन श्रीनाराण पुत्र कल्याण के बजाय नानूराम उर्फ श्रीनारायण्ण पुत्र स्व. गणेश दत्तक पुत्र कल्याण दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करें, इस पर तहसीलदार फुलेरा ने जवाब पेश किया, जवाब व दस्तावेजात से यह कही भी साबित नही था कि नानूराम व श्रीनारायण अलग–अलग व्यक्ति है बल्कि उपलब्ध साक्ष्य में शपथ पत्र से यही साबित था कि नानूराम का दूसरा नाम श्रीनारायण है, यानि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, रिकार्ड ऑफ राईट्स में हुई त्रुटि, अंकन को दफा 136 राजस्थान लैंण्ड रेवेन्य एक्ट के तहत लैंण्ड रिकार्डधारी तहसीलदार की उपस्थिति में ठीक किये जाने के प्रावधान है फिर भी अधीनस्थ विचारणीय न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.04.2016 को पारित करते हुये प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बिला वजह खारिज किया है, जो कतई विधिविरूद्ध, वास्तविक तथ्यों के विपरित तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरित होने की वजह से अपीलाधीन निर्णय समेरेली निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कानूनन धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की मंशा व उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की कोई रिकार्ड में गलती हो जाये तो उसे लैण्ड रिकार्डधारी की उपस्थिति में अन्य कोई अड़चन न हो तो दुरूस्त व ठीक किया जा सकता है लेकिन इस कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि मामले हाजा में जायन्दा पिता एवं दत्तक पिता का न तो कोई विवाद था और न दोनों पिताओं को नानूराम उर्फ श्रीनारायण नाम होने में कभी कोई एतराज रहा है और न इस प्रकार की कोई आपत्ति थी और न विपक्षी तहसीलदार ने नानूराम व श्रीनारायण के नाम के अलग–अलग व्यक्ति होने की कोई साक्ष्य पेश की थी फिर भी अधीनस्थ विचारणीय न्यायालय ने दुरूस्ती प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज करने में अहम भूल की है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2016 को निरस्त किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न जवाब राजस्व पैरोकार के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नारायना की जमाबन्दी चौसाला वर्ष 2068–2071 में खाता संख्या 222 में श्रीनारायण पुत्र कल्याण जाति अहीर हि. 1/4 का सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है लेकिन अपीलान्ट द्वारा नानूराम व श्रीनारायण दोनों एक ही व्यक्ति होने बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय जारी प्रमाण स्वरूप किसी प्रकार के साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे कि अपीलान्ट को नानूराम उर्फ श्रीनारायण माना जा सके। इसके लिये तो अपीलान्ट का सक्षम न्यायालय में ही चाराजोही करनी चाहिये तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष अपीलान्ट अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का सिद्ध करने में असफल रहने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2016 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त
जयपुर